हम अलवर के विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं : भूपेंद्र यादव

अलवर। सकारात्मक सोच के साथ सबका सहयोग मांग कर हम अलवर के विकास के लिए आगे बढ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो रोड ब्लॉक करने में लगे रहते हैं और बाद में बयान बहादुर बन जाते हैं। यह बात अलवर सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को अलवर में

■ **बैठक में वन एवं राज्यमंत्री संजय शर्मा मौजूद रहे।**

पत्रकारों के भर्तहरी डेवलपमेंट रोड मेप को लेकर किए सवाल के जवाब में कही है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र अलवर के दौरे पर रहें। भूपेंद्र यादव ने अलसुबह कम्पनी बाग अलवर का भ्रमण कर आमजन से संवाद करते हुए कहा कि अरावली की सुरम्य पहाडियों के नजदीक बसा अलवर शहर बाबा भर्तृहरि की तपोस्थली है। इसको साफ-सुथरा व हरा-भरा शहर बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि सांसद होने के नाते अलवर को स्वच्छ शहर बनाने, यहां के ट्यूयूरिज्म को बढाने व जिले का सम्पूर्ण विकास करने की दिशा में निरन्तर काम किया जा रहा है इस दौरान उन्होंने अलवर की स्वच्छता रैंकिंग 366 वें स्थान से 54 वें स्थान पर आने एवं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश में तीसरी रैंकिंग प्राप्त करने पर अलवरवासियों को बधाई दी और कहा कि इसे और बेहतर बनाने की दिशा में सामूहिक जन सहभागिता के साथ निरन्तर सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 17 सितम्बर से महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर तक पूरे देश में स्वच्छता पखवाडा आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए स्वच्छता संबंधी गतिविधियां आयोजित कराई जाएंगी।

उन्होंने आमजन से आव्हान किया कि अलवर शहर को स्वच्छ शहर बनाने में प्रशासन का सहयोग करें, अपने घरों के बाहर कचरा पात्र अवश्य रखे तथा कचरे का घर से ही सेरीठोशन कर ऑटो टिपर में डाले। उन्होंने कहा कि सरिस्का अभयारण्य में टाइगरों की संख्या 48 हो गई जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। अलवर के चहुंमुखी विकास एवं पर्यटन को गति देने हेतु बाबा भर्तृहरि धाम को विकसित करने, सेन्चुरी बनाने, नए डेयरी प्लांट को शुरू करने आदि कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को अलवर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की टाइगर मैराथन होगी, इस दौरान देश-विदेश से लोग यहां आएंगे, जिससे अलवर के पर्यटन को बढावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने अलवर में फाटक की अनुमति देने के साथ 120 करोड लागत से नए रेलवे स्टेशन बनाने की सौगात दी है, जिसका भूमि पूजन नवम्बर माह तक कराने का पूरा प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि कम्पनी बाग समिति के समन्वय से यहां की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके उपरांत केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कलक्ट्रेट सभागार में स्वच्छता अभियान व शहर के समठा विकास से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान वन एवं राज्यमंत्री संजय शर्मा मौजूद रहे। बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने निर्देशित किया कि निगम के पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण कर वेस्ट डिस्पोजल पर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करें। उन्होंने ने निर्देश दिए शहर में निर्धारित स्थानों पर सुव्यवस्थित व एकरूपता के साथ स्टॉल का निर्माण कर उन्हें आवंटित करें।

मौसमी बीमारियों के प्रति बरतें सतर्कता : बीसीएमओ डॉ. गुर्जर

कोटपूतली। बीसीएमओ डॉ. पूरण चंद गुर्जर ने खण्ड कोटपूतली के उप स्वास्थ्य केन्द्र खडब, आयुष्मान आरोग्य मंदिर सरूण्ड समेत विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बीसीएमओ ने उपस्थिति रजिस्टर, स्वास्थ्य केन्द्र की साफ-सफाई, दवा वितरण, आरसीएच रजिस्टर, परिवार कल्याण सेवायें आदि का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान कई स्वास्थ्य केन्द्रों पर कर्मचारी अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाये गये। समय पर स्वास्थ्य केन्द्रों पर नहीं पहुँचने एवं अनुपस्थित रहने पर बीसीएमओ डॉ. गुर्जर ने नाराजगी जाहिर करते हुये कहा कि अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के प्रति विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसके लिये सम्बंधित कार्मिक स्वयं जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई कर्मचारी बार-बार निर्देशों के बावजूद भी लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

बीसीएमओ डॉ. गुर्जर ने सभी स्वास्थ्यकर्मियों से पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करने का आह्वान किया है ताकि क्षेत्र के लोगों को मौसमी बीमारियों के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। बीसीएमओ ने कहा कि स्वास्थ्य केन्द्रों पर कर्मचारी गणवेश मय आईडी कार्ड के समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करें।

साथ ही मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करें, मरीजों को कोई भी परेशानी ना हो एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर टीकाकरण कार्य बेहद जिम्मेदारी के साथ सम्पादित किया जायें। साथ ही स्वास्थ्य केन्द्र की साफ-सफाई, दवाओं की उपलब्धता, रिकॉर्ड संधारण, रिपोर्टिंग कार्य एवं मरीजों के बैठने, बिजली-पानी समेत अन्य सभी व्यवस्थायें सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिये।

एक वर्ष से फरार चल रहा लूट का आरोपी गिरफ्तार

फुलेरा। स्थानीय पुलिस ने विगत एक वर्ष से फरार चल रहा लूट का आरोपी स्थायी वारण्टी सीताराम जाट को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।पुलिस अधीक्षक जिला जयपुर ग्रामीण राशि डोगरा डूडी ने जानकारी देते हुए बताया है की वांछित अपराधियों, स्थाई वारंटी, भगौडे, पीओ, ईनामी अपराधी व टॉप-10 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाये जा रहे विशेष अभियान एरिया डोमिनेशन के तहत जिले के समस्त अधिकारियों को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया था। उक्त अभियान को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू शिवलाल बैरवा व पुलिस उप अधीक्षक सांभरलेक अनुपम मिश्रा के सुपरविजन में फुलेरा थानाधिकारी चन्द्रप्रकाश यादव के नेतृत्व में लूट के प्रकरण में फरार चल रहे स्थायी वारण्टी सीताराम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया।

■ **स्थानीय पुलिस ने लूट के आरोपी स्थायी वारण्टी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है**

गठित टीम के द्वारा आसूचना संकलन कर पिछले एक साल से फरार चल रहे स्थायी वारण्टी सीताराम जाट (40) निवासी बल्डवालो की ढाणी तन पणिहारी थाना फुलेरा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। फुलेरा थानाधिकारी चंद्रप्रकाश यादव ने बताया कि फरारी के दौरान आरोपी अपने मकान में पुलिस से बचने के लिय तहखाना बनाकर रह रहा था, मकान में रसोई घर में पत्थर के टाईल को हटाया जाकर चैक किया गया तो स्थायी वारण्टी तहखाने में छिपा हुआ मिला। आरोपी थाना सांभरलेक, दांतारामगढ, नांवा व फुलेरा के न्यायालय से सजायाफ्ता मामलों में फरार चल रहा था।

पुलिस टीम का विवरण : फुलेरा थानाधिकारी चन्द्रप्रकाश यादव के नेतृत्व में एएसआई कमलवीर, कांस्टेबल महेन्द्र, रामावतार, रवि कुमार, महिला कांस्टेबल हिमांशी कमला पुलिस टीम में शामिल रही।

जोधपुर-मऊ- व जोधपुर-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन का संचालन

फुलेरा। रेलवे की ओर से आगामी दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ पर्व पर अतिरिक्त यातायात व रेलयात्रियो की सुविधा को देखते हुए जोधपुर-मऊ-जोधपुर व जोधपुर-गोरखपुर-जोधपुर स्पेशल रेलसेवाओं का संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकिरण ने बताया कि 04823/04824, जोधपुर-मऊ-जोधपुर साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा

गाडी संख्या 04823, जोधपुर-मऊ साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा 28 सितंबर से 30 नवंबर तक (10 ट्रिप) जोधपुर से रविवार को शाम 5.30 बजे रवाना होकर जयपुर स्टेशन पर रात 11 बजे आगमन व 11.10 बजे प्रस्थान कर सोमवार को रात 11.20 बजे मऊ पहुँचेगी। इसी प्रकार गाडी संख्या 04824, मऊ-जोधपुर साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा 30 सितंबर से 2 दिसंबर तक (10 ट्रिप) मऊ से प्रत्येक मंगलवार को सुबह 4 बजे रवाना होकर बुधवार को जयपुर स्टेशन पर रात 2.50 बजे आगमन व 3.00 बजे प्रस्थान कर जोधपुर स्टेशन पर सुबह 8.55 बजे पहुँचेगी। यह रेलसेवा मार्ग में पिपाड रोड, गोटन, मेडता रोड, रेन, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावां सिटी, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, मंडावर महवा रोड, खेडली, नदबई, भरतपुर, मथुरा, हाथरस सिटी, आदि स्टेशनों पर ठहराव करेगीं।

100% जल विलेय उर्वरक के उत्पादन, भंडारण एवं बिक्री के संबंध में सूचना

कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश क्रमांक 2900 (E) दिनांक- 24 अक्टूबर 2015 के संदर्भ में कृषि आयुक्त जयपुर को अवगत करना चाहेंगे कि कर्नाटका एग्रो केमिकल्स-बैंगलोर द्वारा 100% जल विलेय उर्वरक की निम्नलिखित रेंज प्रस्तुत की जाएगी। जिसका विवरण निम्नलिखित रूप में कर रहे हैं।

क्रम	विवरण	NPK 18:46:00-0.25 (Dap Plus)
1.	नमी प्रतिशत (वजन में) अधिकतम	2.5%
2.	कुल नाइट्रोजन प्रतिशत (वजन में) का न्यूनतम	18.0%
3.	जल विलेय फॉस्फेट (P205 के रूप में) प्रतिशत (वजन में) न्यूनतम	46.0%
4.	जल विलेय पोटाश प्रतिशत (वजन में) न्यूनतम	0.0%
5.	क्लोराइड का कुल प्रतिशत (वजन का प्रतिशत) अधिकतम	1.5%
6.	पानी में अघुलनशील पदार्थ (वजन का प्रतिशत) अधिकतम	0.5%
7.	सोडियम NaCl के रूप में (वजन का प्रतिशत) अधिकतम	0.5%

कर्नाटका एग्रो केमिकल्स-
180 (1St), मेन रोड महालक्ष्मी लेआउट, बैंगलोर- 560086 फोन- 080-23497464
Email: multiplex@multiplexgroup.com
Web: www.multiplexgroup.com

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 80/2025
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री डी.पी. मीणा संरक्षक ने पंजीकृत प्रन्यास श्री राधा कृष्ण मंदिर सेवा ट्रस्ट सूर्य नगर, तारो की कूंट, टोंक रोड जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 26 जयपुर 2004 है के सम्बन्ध मे राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास के उद्देश्यों खंड मे नवीन उद्देश्यों को समायोजित कर उक्त समायोजन/संशोधनो को कार्यालय रिकार्ड मे दर्ज अभिलेख किये जाने हेतु जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।

अतएवं धारा 23 मे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियो के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 08.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 13.10.2025

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 97/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री नवनीत कुमार त्यागी पुत्र श्री रामेश्वर त्यागी निवासी मकान नंबर 502, न्यू फुल बाग कॉलोनी मेरठ सिटी गांधी आश्रम उत्तर प्रदेश 250002 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास बाबा मोहन राम तपोभूमि धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट मिलकपुर भिवाडी तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियो के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले मे निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 03.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 15.11.2025

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम,वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/581 चूंकि प्रार्थी श्री SUSHMA SHARMA A-32 SHETHI COLONY SHATYSAI COLLEGE, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास शुद्धा महिला प्रशिक्षण केन्द्र व शिक्षण संस्था, A-32 SHETHI COLONY JAIPUR (RAJ.) के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले मे निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 20.11.2025

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम,वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/592 चूंकि प्रार्थी श्री JAI NARAIN SANI MALI MOHANLLA PANI KI TANKI KI PASS BARODIYA CHAKUSU JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास आधार शोध संस्थान शिवदासपुरा जयपुर GRAM SHIVDASPURA DIST.JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 20.11.2025

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम,वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/604 चूंकि प्रार्थी श्री LOVENDRA SINGH SHEKHAWAT, 44 NIRMAL NAGAR VISTAR A, BOYTAWALA LUNAWAT CHAMBER BENAR ROAD JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास राजस्थान पैरा स्पोर्टस कमेटी, 132 SEETA VIHAR VAIDH JI KA CHOURAHA NIVARU ROAD JHOTWARA JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले मे निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 19.11.2025

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा/जोन-13/2025/राजकाज-15484/डी-1962 दिनांक-02.09.2025

सार्वजनिक सूचना

आवेदक मैसर्स ब्राइटमून शिक्षा समिति जरिये श्री गौरव यादव पुत्र सत्यवीर सिंह एवं लक्ष्मी यादव, निवासी-ग्राम खोराश्यामदास, तहसील आमेर, जयपुर द्वारा राजस्व ग्राम-खोराश्यामदास, तहसील आमेर के खसरा नम्बर 642 रकबा 0.5775 हैक्टेयर, 655 रकबा 1.12 हैक्टेयर, 643 रकबा 0.29 हैक्टेयर, किता 03 कुल रकबा 1.9875 हैक्टेयर 90ए शुद्धा भूमि पर शैक्षणिक (Institutional) प्रयोजनार्थ एकल पट्टा मानचित्र अनुमोदन करने हेतु आवेदन किया गया है। जिसके क्रम मे प्राधिकरण की बी.पी.सी. (एल.पी.) समिति की 287वी बैठक दिनांक 05.11.2020 मे अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 की पालना मे आवेदित भूमि के लगते हुए सडक का मार्गाधिकार जो कि खोराश्यामदास बस स्टेण्ड से देगडावास रोड से चौप को जोडती हुई सडक को 18 मीटर कायम किये जाने का निर्णय लिया गया है।

यदि उक्त निर्णय पर किसी को कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति प्रकाशन के 10 दिवस की अवधि मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय जोन-13 जविप्रा मे अपने दस्तावेजों सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। उक्त कालावधि मे आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल मे लायी जावेगी। सूचित रहे। यह विज्ञप्ति आज दिनांक...को जारी की गई है।

उपायुक्त जोन-13, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर, दूरभाष संख्या-0141-4901853

क्रमांक-3055 दिनांक-12.09.2025

आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड संख्या- 11/H/179 इन्दिरा गांधी नगर जयपुर क्षेत्रफल 236.25 वर्ग मीटर का आवंटन श्री बाबूलाल, श्री पप्पूलाल, श्री अशोक कुमार पुत्रान श्यारसा, जाति खाती को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमाक 12607 दिनांक 16.09.2022 जारी किया गया। उनके द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर चतुर्थ में दिनांक 19.09.2022 को करवाया गया। तत्पश्चात उक्त संयुक्त खातेदारो में से श्री पप्पू लाल, श्री अशोक कुमार पुत्रान श्री श्यारसा के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड के संबंध में श्री बाबूलाल पुत्र श्री श्यारसा के पक्ष मे उपहार पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर चतुर्थ में दिनांक 25.06.2023 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री बाबूलाल पुत्र श्री श्यारसा के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का बेचान जरीये विक्रय पत्र के श्री मोहन सिंह पुत्र श्री टेक चन्द को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर चतुर्थ में दिनांक 10.02.2025 को करवाया गया। श्री मोहन सिंह पुत्र श्री टेक चन्द के द्वारा आवासीय भूखण्ड का मूल आवंटी के नाम पंजीयन हो जाने के बाद पश्चातवर्ती अंतिम क्रेता का नाम मण्डल अभिलेख में दर्ज करने वाद पत्र निवदन किया गया है। अतः नाम दर्ज के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री विजय कुमार भानावंदानी पुत्र स्व. श्री गोपाल दास पक्ष मे उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।

सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय, रा.आ. मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर, दूरभाष संख्या-0141-4901853

क्रमांक-3059 दिनांक-12.09.2025

आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या-1/856 मालवीय नगर जयपुर क्षेत्रफल 44.00 वर्ग मीटर का नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 16.08.1999 श्री गोपाल दास पुत्र श्री सहजराम के पक्ष मे जारी किया गया था। उनके द्वारा द्वारा आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर प्रथम में दिनांक 27.09.1999 को करवाया गया। श्री गोपाल दास की मृत्यु दिनांक 14.05.2021 को हो जाने के कारण श्री विजय कुमार भानावंदानी पुत्र स्व. श्री गोपाल दास के द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रशासनिक शुल्क की छाया प्रति, शपथ पत्र, प्रतिभूति बन्धपत्र पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं रजिस्टर्ड हकदयाग की छाया प्रति प्रस्तुत कर उक्त आवास का नाम प्रतिस्थापन अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री विजय कुमार भानावंदानी पुत्र स्व. श्री गोपाल दास पक्ष मे उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।

सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय, रा.आ. मण्डल, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम,वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/633 चूंकि प्रार्थी श्री DIWAKAR CHANDOLA OMAXE CITY VILLA NO. 95 AJMER ROAD, TAHSIL SANGANER BAAD KE BALAJI THIKARIYA JAIPUR RAJASTHAN-302026 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्रे ठाकुर जी महाराज सेवा समिति ओमेक्स सिटी जयपुर, VILLA NO. 95 OMAXE CITY AJMER ROAD, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले मे निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 17.11.2025

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह अदालत- अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1 बयाना-भरतपुर (राज.) विविध प्रकरण संख्या एच.एम.ए. 166/2024

हीराशंकर शर्मा पुत्र रमाकांत शर्मा निवासी चूडी वाली गली कस्बा बयाना, तहसील-बयाना, जिला भरतपुर (राज.) --पिटीशनर (बनाम) ऊषा शर्मा पत्नि हीराशंकर हाल निवासी 68, राजेन्द्र नगर, दयाल नर्सिंग होम के पास निवास रोड जयपुर, कार्यालय IDBI बैंक अहमदाबाद गुजरात मोबाईल नम्बर 9414877911 विवाह विच्छेद याचिका धारा 13 (ए) हिन्दू विवाह अधिनियम क्योकि पिटीशनर ने इस अदात में दरख्वास्त पेश की है लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि तारीख 29-09-2025 वक्त 10.30 ए.एम. (दिन) अदालत में असालतन अथवा वकालतन हाजिर होकर दरख्वास्त के खिलाफ वजह जाहिर करें वर्ना दरख्वास्त एकपक्षीय सुन ली व फैसल कर दी जावेगी बाबत् दरख्वास्त व मौहर अदालत आज व तारीख 7-8-2025 दरख्वास्त अदालत

मुहर — आज्ञा से - रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नं. 1

इत्तलानामा वास्ते जाहिर करने वजह न जारी होने डिग्री के (ओ.21 रूल 22 जाब्ता दीवानी) अज अदालत किराया अधिकरण क्रम.2 जयपुर महानगर प्रथम मुकुट बिहारी बनाम राधाकिशन डिग्री बाबत मुकदमा नं. 98/25

बनाम-मुसम्मी श्रीमति इन्द्रा देवी पत्नि राधाकिशन कौम अग्रवाल साकिन म.नं. 2298, रामललाजी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर (राज.)

चूंकि...ने डिग्री अदालत...मवर्खे...व मुकदमें नं....सन् 20... की इजराय के लिए दरख्वास्त पेश की है इसलिए आपको इत्तला दी जाती है कि आप इस अदालत में 14.10.2025 को हाजिर होकर अगर कोई उजर वास्ते आपके खिलाफ इजाजत किये जाने डिग्री रखते हो तो पेश करों।

आज व तारीख 11 माह 09 सन् 2025 व शब्द मेरे दस्तखत मुहर अदालत के जारी किया गया।

आज्ञा से-रीडर
अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-5 एवं किराया अधिकरण द्वितीय जयपुर महानगर प्रथम

मोहर अदालत

इत्तलानामा वास्ते जाहिर करने वजह न जारी होने डिग्री के (ओ.21 रूल 22 जाब्ता दीवानी) अज अदालत किराया अधिकरण क्रम.2 जयपुर महानगर प्रथम मुकुट बिहारी बनाम इन्द्रा डिग्री बाबत मुकदमा नं. 97/25

बनाम-मुस